



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 31.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 05 अलग-अलग मामलों में 10 अभियुक्तों कारावास व जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण— पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 05 अलग-अलग मामलों में कुल 10 अभियुक्तों को कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्नवत् है-

अभियोग-

1. थाना गिरवां में पंजीकृत अभियोग 326/08 धारा 447/504/506 भादवि के अभियुक्त राजकिशोर पुत्र सुन्दरलाल निवासी शेरपुर थाना गिरवां जनपद बांदा को 3000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना गिरवां में पंजीकृत अभियोग 67/03 धारा 427/506 भादवि के अभियुक्त राबृजकिशोर पुत्र बुल्ली निवासी थाना गिरवां जनपद बांदा को 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना बबेरू में पंजीकृत अभियोग 103/04 धारा 323/34/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. जगनन्दन पुत्र छत्रपाल 2. ज्ञानू पुत्र जगनन्दन 3. मनोज पुत्र जगनन्दन 4. गुड़िया पुत्री जगनन्दन निवासीगण ग्राम जमुनिहा पुरवा थाना बबेरू जनपद बांदा को कुल 04-04 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना मरका में पंजीकृत अभियोग 98/13 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त रामदीन पुत्र भरोसा निवासी थाना मरका जनपद बांदा को 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
5. थाना कालिंजर में पंजीकृत अभियोग 73/08 धारा 148/307/149 भादवि व धारा 12/14 डीएए एक्ट तथा मु0अ0सं0 73/2008 धारा 25 आयुध अधिनियम के अभियुक्तगण 1. ज्ञान सिंह पुत्र चुनवाद 2. भूरा पुत्र बेटू कुर्मी 3. पहलवान उर्फ मुन्ना पुत्र देवीदयाल निवासीगण ग्राम पिण्डखर थाना अतर्रा जनपद बांदा को 10-10 वर्ष के कारावास व 13-13 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।